

देशविरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों के खिलाफ ही विशेष जनसुरक्षा कानून: पत्रकारिता पर कोई अंकुश नहीं-मुख्यमंत्री फडणवीस



राज्य के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सहाद्री अतिथि गृह में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने संवाद किया और कानून को लेकर पत्रकारों की शंकाओं का समाधान किया। इस बैठक में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव और महानिदेशक ब्रिजेश सिंह, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, विशेष पुलिस महानिरीक्षक सदीप पाटील तथा राज्य के प्रमुख पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

पत्रकारों की शंकाओं का किया

समाधान

प्रस्तावित जनसुरक्षा कानून की कुछ धाराओं को लेकर पत्रकार संगठनों में आशंकाएं थीं। राज्य की १२ प्रमुख पत्रकार संगठनों ने मिलकर पत्रकार अभिव्यक्ति मंच की स्थापना की थी। पत्रकारों की शंकाएं दूर हों और उन्हें यह जानकारी मिले कि यह कानून आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है, इस उद्देश्य से बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी शंकाओं का विस्तार से उत्तर दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि देश में पहले ही तेलंगाना समेत चार राज्यों

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विशेष जनसुरक्षा कानून देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह कानून किसी भी पत्रकार या आम नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगा। यह कानून व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, बल्कि देशविरोधी गतिविधियों में संलग्न संगठनों के खिलाफ लागू किया जाएगा। यह स्पष्ट गारंटी बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने संतोष व्यक्त किया।

और केंद्र सरकार ने जनसुरक्षा कानून लागू किया है। इन राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र का प्रस्तावित कानून अधिक संरक्षित और संतुलित है। कई माओवादी संगठनों पर देश के अन्य हिस्सों में पहले से ही प्रतिबंध

है, जिसके चलते उन्होंने अपना मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर लिया है। अब उनके फ्रंटल संगठन शहरी क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। यदि अब यह कानून लागू नहीं किया गया, तो भविष्य में महाराष्ट्र को

गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जनसुनवाई के माध्यम से मिलेगी पारदर्शिता

इस प्रस्तावित कानून को विधानसभा में पेश करते समय इसे संयुक्त समिति के पास भेजकर जनसुनवाई कराने की भी भूमिका सरकार ने अपनाई है। यदि पत्रकार संगठनों की कुछ व्यवहारिक और तार्किक सुझाव हों, तो उन पर भी विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और कानून की धाराओं में स्पष्टता लाई जाएगी।

कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई

संगठन देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, या माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई केवल तीन न्यायाधीशों की सलाहकार समिति की सुनवाई के बाद ही संभव होगी। पुलिस को उस संगठन के खिलाफ प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे और यदि समिति यह प्रमाण स्वीकार करती है, तभी उस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी पत्रकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और न ही किसी सरकार को इसका दुरुपयोग करने का अवसर मिलेगा।

मूसा कादरी का इंतेंकाल

बीड (नामा निगार): मुहल्ला जुना बाजार बीड के रहने वाले मूसा कादरी पुत्र नूर अल-मुक्तदा कादरी मशहूर का ९ अप्रैल की दोपहर इंतेंकाल हो गया। उनकी उम्र तकरिबन ६० साल थी। मरहम जुना बाजार के मशहूर बुजुर्ग हजरत कादार बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते थे। उनकी नमाजे जनाजा रात साढ़े ग्यारह बजे हजरत शहनशाह वाली दरगाह के अहाते में अदा की गई और तदफ़ीन भी वहीं करीबी कब्रिस्तान में अंजाम पाई। मरहम के पसमांदगान में बीवी के अलावा तीन बेटे और बेटियाँ हैं। नौजवान सोशल वर्कर ज़ैद कादरी उनके फ़र्ज़द हैं। अल्लाह से दुआ है कि वह मरहम की मग़फ़िरत फरमाए और पसमांदगान को सन्न ए जमील अता करे आमीन, तामीर इदारा कादरी खानदान के ग़म में बराबर का शरीक है।

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आल इंडिया सुन्नी

जमीयत-उल-उलमा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

मुंबई, ९ अप्रैल (अजीज़ इजाज़): वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की ओर से उठाए जा रहे विरोध में एक और बड़ी पहल सामने आई है। आल इंडिया सुन्नी जमीयत-उल-उलमा के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां ने प्रसिद्ध वकील एडवोकेट रिज़वान मर्चेंट के मसौदे को लेकर दिल्ली का दौरा किया, जहाँ उन्होंने देश के वरिष्ठ वकील एडवोकेट शबीब फारूक से अहम कानूनी सलाह-मशविरा किया। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी हस्तक्षेप करना था। आज आल इंडिया सुन्नी जमीयत-उल-

उलमा ने इस बिल की सुप्रीम कोर्ट में विधिवत विरोध करते हुए मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की पैरवी की है। इस कदम को मुस्लिम समाज की तरफ से एक सकारात्मक और मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।

इस संबंध में जमीयत के उपाध्यक्ष अल्हाज मोहम्मद सईद नूरी ने भी एडवोकेट शबीब फारूक से संपर्क स्थापित किया, ताकि कानूनी पहलुओं पर एकजुटता और तालमेल के साथ काम किया जा सके। यह संपर्क इस ओर इशारा करता है कि विभिन्न सुन्नी

संगठन इस बिल को लेकर एकजुट रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह पहल न केवल शरीयत से जुड़े मसलों के संरक्षण के लिए अहम मानी जा रही है, बल्कि इससे मुसलमानों में जागरूकता और एकता का संदेश भी जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों की चिंताओं को सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से रखने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। गौरतलब है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कुल १३ याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।

बीड के अर्धमसला गांव में जमात-ए-इस्लामी हिंद की ओर से 'ईद मिलन' का ऐतिहासिक आयोजन

विस्फोटग्रस्त मस्जिद के सामने हुआ अमन और एकता का संदेश देने वाला कार्यक्रम



बीड, ९ अप्रैल: जिला बीड के गेवराई तहसील के अर्धमसला गांव स्थित मक्का मस्जिद में कुछ दिन पहले हुए दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट के बाद गांव में तनाव फैलने की आशंका थी। लेकिन गांववासियों ने अत्यंत संयम और विवेक का परिचय देते हुए शांति और भाईचारा बनाए रखा। इस सराहनीय व्यवहार की प्रशंसा पूरे क्षेत्र में हो रही है। इसी सामाजिक सौहार्द को और मजबूत करने के उद्देश्य से जमात-ए-इस्लामी हिंद (गर्भक), बीड शाखा और अर्धमसला गांवकरी मंडळ के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में मक्का मस्जिद परिसर (जहां आठ दिन पहले विस्फोट हुआ था) में 'ईद मिलन' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में



पूरे राज्य को दिया शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश

अर्धमसला गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हर धर्म और जाति के पुरुष, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, और गांव के वर्तमान व पूर्व सरपंचों की उत्साही भागीदारी के चलते यह आयोजन सौहार्द और एकता का अनूठा उदाहरण बन गया। मुख्य वक्ता डॉ. रफीक पारनेकर (पारनेर, अहमदनगर) ने संत तुकाराम महाराज के अभंगों का हवाला देते हुए इस्लाम धर्म में प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और शांति के मूल्यों को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक एकता, सहअस्तित्व और मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को

प्रभावशाली ढंग से श्रोताओं के समक्ष रखा। भागवत तावरे ने भी सामाजिक सद्भाव और शांति पर प्रेरक और ऊर्जावान विचार रखे। कार्यक्रम में बीड जिले के पुलिस अधीक्षक (डब्लू) के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय अपराध शाखा प्रमुख उस्मान शेख, तथा तलवाड़ा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक श्री नरके विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने गांववासियों के संयम और शांति बनाए रखने की खुले दिल से प्रशंसा की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहित

करते हैं। कार्यक्रम में गांव के सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, व्यापारी, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। सभी की ओर से एक ही संदेश दिया गया-अगर हम एकजुट रहें, तो कोई भी विघटनकारी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। कार्यक्रम का प्रारंभिक भाषण सैय्यद शफीक हाशमी ने किया और मंच संचालन शेख गयासुद्दीन ने प्रभावशाली तरीके से किया। इस अवसर पर सरपंच बाळासाहेब राजत, अशोक राव थोपरे, जमात-ए-

इस्लामी हिंद बीड के जिला संयोजक सैय्यद इफ्तेखार, मौलाना अमीन आदि ने अपने विचार रखे। मंच पर वर्तमान और पूर्व सरपंचों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया।

कार्यक्रम के अंत में सैय्यद नूर भाई ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों को विशेष शीरखुर्मा परोसा गया, जिसमें प्रेम, अपनापन और सम्मान की मिठास घुली हुई थी।

यह 'ईद मिलन' कार्यक्रम केवल बीड जिले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए शांति, सौहार्द और एकता का सशक्त संदेश बनकर सामने आया है। अर्धमसला गांव इस सकारात्मक पहल का जीवंत उदाहरण बन गया है, जिसकी पुनरावृत्ति समय की आवश्यकता है।

चौसाळा ग्रामीण अस्पताल भवन निर्माण के लिए २४ करोड़ की निधि मंजूर

प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त; उपमुख्यमंत्री अजित पवार का डॉ. योगेश क्षीरसागर ने जताया आभार

बीड (प्रतिनिधि), ९ अप्रैल: बीड तालुका के चौसाळा और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में जल्द ही महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार ने चौसाळा ग्रामीण अस्पताल की इमारत के निर्माण के लिए २४ करोड़ ४५ लाख ६३ हजार रुपये की निधि को मंजूरी दी है। बुधवार, ९ अप्रैल को इस बजट को प्रशासकीय मान्यता भी मिल गई है। इस निधि के माध्यम से ग्रामीण अस्पताल की आधुनिक इमारत का निर्माण किया जाएगा। यह निधि राज्य के उपमुख्यमंत्री व बीड जिले के संपर्क मंत्री अजितदादा पवार के प्रयासों से मंजूर की गई है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर ने उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।



पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने चौसाळा ग्रामीण अस्पताल के उन्नयन और भूमि उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किए थे। उनके मार्गदर्शन में डॉ. योगेश क्षीरसागर ने प्रशासकीय स्तर पर निधि के लिए पुर्जोर प्रयास किए। अब इस निधि की मंजूरी से चौसाळा और आसपास के हजारों नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अभी तक मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल तक जाना पड़ता था, लेकिन अब नए ग्रामीण अस्पताल में जांच, उपचार और आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस

अस्पताल के लिए निधि प्राप्त करने हेतु डॉ. योगेश क्षीरसागर ने पिछले कई दिनों से लगातार शासन स्तर पर विभिन्न माध्यमों से मांग को प्रभावी ढंग से उठाया था। उनके प्रयासों को अब सफलता मिली है और उन्होंने इसके लिए उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार का विशेष धन्यवाद किया है। इस निर्णय से चौसाळा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के न केवल चौसाळा के नागरिकों को बल्कि आसपास के गांवों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जल्द ही अस्पताल भवन निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और आगामी कुछ महीनों में यह कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।



उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

मराठा विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए विधायक विजयसिंह पंडितने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से की

शासन निर्णय में संशोधन कर छात्रावास शुरू करने की अड़चनें दूर करने की मांग

मुंबई, २५ अप्रैल (प्रतिनिधि): राज्य सरकार ने पहले यह आश्वासन दिया था कि राज्य के प्रत्येक जिले में मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास शुरू किए जाएंगे। इसी संबंध में विधायक विजयसिंह पंडित ने पहले विधानसभा में मांग उठाई थी। अब उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिला स्तरीय छात्रावास की स्थापना के लिए मौजूदा शासन निर्णय में संशोधन कर नया शासन निर्णय जारी करने और छात्रावास शुरू करने में आ रही अड़चनों को दूर करने की मांग की है।

मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान सरकार ने यह वादा किया था कि राज्य के सभी जिलों में मराठा और कुणबी समाज के छात्रों को छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। इस दिशा में सारथी संस्था के माध्यम से प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग तथा योजना विभाग के बीच तालमेल की कमी के कारण छात्रावास की स्थापना में देरी हो रही है। इस विषय को विधायक पंडित ने विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया था। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने मंगलवार, ८ अप्रैल को उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर उन्हें लिखित में निवेदन सौंपा।

वास्तविकता में नहीं मिल रही सुविधा छत्रपती शाहू महाराज रिसर्च, ट्रेनिंग व ह्यूमन डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट (सारथी) द्वारा जिला स्तर पर छात्रावास शुरू करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था। लेकिन आज भी कई जिलों में मराठा विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा नहीं मिल रही है। सारथी के प्रबंध निदेशक ने इस विषय में विस्तृत पत्र लिखकर शासन निर्णय में संशोधन की मांग की थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। विधायक पंडित ने यही मुद्दा विधानसभा में उठाया था।

विभागों के बीच समन्वय की कमी बनी बाधा इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक पंडित ने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रावास चलाने वाला

विभाग ही छात्रों के बैंक खातों में निर्वाह भत्ता और अन्य राशि जमा करता है। जैसे कि आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आदि में यह पद्धति अपनाई जाती है। लेकिन सारथी द्वारा संचालित छात्रावासों के मामले में शासन निर्णय के अनुसार निर्वाह भत्ता उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग से दिया जाना तय किया गया है। इससे छात्रावास संचालन और निर्वाह भत्ता देने वाले विभाग अलग-अलग हो जाने से प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही, जिलाधिकारी द्वारा तय किया गया शुल्क छात्रों द्वारा संस्था को देना है, लेकिन संस्था को यह भरोसा नहीं होता कि छात्र यह राशि समय पर देंगे, जिससे छात्रावास शुरू करने में अड़चन आती है।

पारदर्शिता और समन्वय की जरूरत

विधायक पंडित ने आगे कहा कि ९ नवंबर २०२३ के शासन निर्णय में संशोधन कर, सारथी द्वारा संचालित छात्रावासों के लिए संस्था संचालक और विद्यार्थियों को दी जाने वाली अनुदान और अन्य राशि के वितरण के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है। सारथी के संचालक मंडल के सदस्यों ने इस विषय में कई जिलाधिकारियों से चर्चा कर एक रिपोर्ट शासन को सौंपी है। अब शासन को चाहिए कि वह उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग तथा योजना विभाग के बीच के मतभेद दूर कर, मराठा व कुणबी विद्यार्थियों के लिए राज्य के हर जिले में छात्रावास की सुविधा तुरंत शुरू करे। इसी मांग को लेकर विधायक पंडित ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर उन्हें निवेदन सौंपा।

दत्ता दुधाळ को सहायक पुलिस उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति

महाराष्ट्र भर में सीईटी परीक्षा ९ अप्रैल से २७ अप्रैल २०२५ तक आयोजित

बीड/प्रतिनिधि

वर्तमान में पुलिस सिपाही के रूप में कार्यरत और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के अंगरक्षक रहे दत्तात्रय भीमराव दुधाळ को पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत ने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग से बीड की यातायात शाखा में सहायक पुलिस उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी है। उनके साथ तीन अन्य अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है।

दत्तात्रय भीमराव दुधाळ, जो पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत थे, को मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया के तहत बीड की यातायात शाखा में सहायक पुलिस उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नतियां अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के चार अधिकारियों को दी गई हैं।

कुछ महीने पहले ही दत्ता दुधाळ को पुलिस महानिदेशक की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। अब पदोन्नति मिलने पर उनके मित्रों और परिवार द्वारा उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां दी जा रही हैं।

मालेगांव (खयाल असर):

बारहवीं विज्ञान के बाद इंजीनियरिंग और फार्मसी डिग्री कोर्सेस में दाखिले के लिए जरूरी महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (चक्क-उण्ड) की शुरुआत ९ अप्रैल २०२५ से हो रही है। इस परीक्षा में हर साल लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं और बाद में कॉलेज और कोर्स का चयन इसी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।

मालेगांव शहर और आसपास से हर साल हज़ारों छात्र इस परीक्षा में भाग लेते हैं और अब तक उनका

परीक्षा केंद्र धुले, नासिक, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में होता था। मालेगांव शहर के लिए यह खुशी की बात है कि इस बार जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसायटी (मनसूरा) के तहत संचालित मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैम्पस (चच-छडउ) को महाराष्ट्र सरकार की ओर से सीईटी सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है।

अब जिन छात्रों का नाम मालेगांव सीईटी सेंटर के लिए आया है, उन्हें मनसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही परीक्षा देनी होगी। झउइ ग्रुप के लिए परीक्षा ९ अप्रैल से १७ अप्रैल २०२५ के बीच होगी। झउच् ग्रुप के लिए परीक्षा १९ अप्रैल से २७ अप्रैल २०२५ के बीच निर्धारित है। जामिया मोहम्मदिया संस्था के चेयरमैन जनाब अरशद मुख्तार की पहल पर, सेक्रेटरी जनाब राशिद मुख्तार के नेतृत्व में और प्रिंसिपल डॉ. शाह अकील अहमद की सहभागिता में सीईटी सेंटर की मंजूरी हासिल की गई। सभी जरूरी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मनसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज को परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया।

मनसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित सीईटी सेंटर पर सुबह और दोपहर की शिफ्ट में ४,००० से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। छात्रों के लिए यहाँ २२० कंप्यूटरों पर आधारित ९ कंप्यूटर लैब्स, इंटरनेट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस सेंटर की स्थापना में डॉ. सलमान बेग (डीन अकेडमिक्स), प्रोफेसर फ़ैज़ान अहमद, डॉ. दिलीवर हुसैन, डॉ. साजिद नईम, प्रो. सऊद महवी और टेक्निकल स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई है।

स्वास्थ्य संस्थाओं को एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 'मिशन' मोड में चलाएं: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर संदर्भ सेवा अस्पतालों तक की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विस्तृत परियोजना तैयार करने और उसे एशियाई विकास बैंक (-उड्ड) के सहयोग से मिशन के रूप में लागू करने के निर्देश दिए हैं।

सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर, मित्रा संस्था के सीईओ प्रवीण परदेशी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव धीरज कुमार, आयुक्त राजीव निवतकर आदि उपस्थित थे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से -उड्ड के प्रतिनिधि निशांत जैन ने भी हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर उपचार नीति लागू की है। उसी तर्ज पर राज्य में भी कैंसर की जांच व उपचार के लिए प्रभावी कार्यप्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिसमें कीमोथेरेपी

और रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं शामिल हों। उन्होंने संबंधित कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नवाचारों को अपनाना जरूरी है। राज्य में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं और इनके लिए संबंधित जिलों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को संलग्न किया गया है।

धाराशिव में नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जनसंख्या और मरीजों की संख्या अधिक है, वहां स्वतंत्र अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं, वहां स्वतंत्र मेडिकल अस्पताल की जरूरत की समीक्षा की जाए। साथ ही नए अस्पतालों

की जरूरत और स्थान के आधार पर विस्तृत योजना बनाई जाए। धाराशिव में चिकित्सा शिक्षा विभाग का अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

पीजी छात्रों को शासकीय सेवा देना होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते समय छात्रों को तय समय के भीतर शासकीय अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य करने की दिशा में भी विचार किया जाए।-उड्ड के सहयोग से राज्य में कई प्रोजेक्ट्स प्रगति पर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से अलिबाग और सिंधुदुर्ग में शासकीय सामान्य अस्पतालों का निर्माण कार्य जारी है, जबकि अमरावती, वाशिम और धाराशिव के अस्पताल निविदा प्रक्रिया में हैं। स्वास्थ्य गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय 'हब' और सात 'स्पोक' शामिल हैं।

साथ ही, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित की जा रही है। सातारा, चंद्रपुर सरकारी अस्पतालों और सर जे.जे. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए उपकरणों की खरीद की जा रही है। इसके अलावा, अंगदान और प्रत्यारोपण से जुड़ी संस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी।

चौसाला ग्रामीण अस्पताल के लिए पूर्व मंत्री क्षीरसागर के प्रयास आए काम

सरपंच बाबूशेट लोढा की लगातार कोशिश को मिली सफलता

बीड/प्रतिनिधि

पिछले चार वर्षों से चौसाला ग्रामीण अस्पताल के लिए निधि स्वीकृति और भूमि उपलब्धता को लेकर किए गए प्रयास अब सफल हुए हैं। पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के सतत प्रयासों के कारण इस अस्पताल के लिए २४ करोड़ ४५ लाख रुपये की निधि मंजूर की गई है। यह जानकारी चौसाला ग्रामपंचायत के सरपंच बाबूशेट लोढा ने दी।

सरपंच बाबूशेट लोढा ने बताया कि चौसाला में सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त ग्रामीण अस्पताल स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर से लगातार अनुरोध किया था। इसके जवाब में क्षीरसागर ने चार बार बैठकें आयोजित

कर तत्कालीन जिलाधिकारी दीपा मुधोल को इस दिशा में त्वरित कार्यवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मुधोल के

कार्यकाल में ही अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई। इसके बाद निधि स्वीकृति के लिए भी

जयदत्त क्षीरसागर ने मंत्रालय में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, संबंधित विभाग के सचिव तथा ओमप्रकाश शेटे से लगातार संपर्क किया और प्रयास जारी रखे। परिणामस्वरूप अब इस अस्पताल के लिए २४.४५ करोड़ रुपये की निधि मंजूर हुई है।

सरपंच बाबूशेट लोढा ने कहा कि यह अस्पताल चौसाला और आस-पास के क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना के लिए भूमि और निधि की मंजूरी केवल और केवल पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के अथक प्रयासों के कारण संभव हो पाई है।



SAPNA TRAVELS

- AC Sleeper
- Free Wifi
- Free Water bottle
- Mobile Charging
- CCTV Camera & GPS
- Clean & Comfortable bed

Heavy Parcel Booking
9960828578 / 9156333999

Beed Office
9075868000
7058575575

Online Booking



www.redbus.in



Beed to Mumbai (panvel-sion-borivali)
Beed to Pune (bhosari-nigdi)

Shivaji Chowk, Near Mahindra showroom, Beed-431122